2-11-20 वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न वाद किया जाता। पत्रावली फैसल सुनाए होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अंधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:— श्री मुकुट सिह चौधरी (आर.ए.एस.)

पत्रावली सख्या,	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
28	17.06.2020	02.11.2020

उनवान

1. राजपाल सिह पुत्र हरिपाल सिह जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमि धारी) पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व राज्य सरकार के परिपत्र 06.10.09 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012

....

उपस्थितिः—

1. श्री संजय यादव वकील प्रार्थीगण की और से।
2. अप्रार्थी की और से पैरोकार,सरकार

—: निर्णयः—

पत्रावली पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः— वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा का था , जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0—13 बिस्वा किस्म बजड का काबिज काश्तकार पल्टुखां पुत्र अमीखां मेव था मौजदा वाद साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0—13 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर 963 मे से 0—13 बिस्वा रकबा के बाबत प्रस्तुत किया है वाद के जेरकार रहते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। बाद स्वीकार उक्त प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का 'हाल खसरा नम्बर बाद सेग्रीकेशन 1276/963 रकबा 1.70 हे0 बना ,जो आराजी वाद विवादित आराजी कहलायेगी।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 944 रकबा 0—13 बिस्वा बिस्वा बंजड कदीम सहीत 940 , 942 कुल किता कुल रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा का काबिज काश्तकार पल्टुखां पुत्र अमीखां मेव निवासी बोलनी था जिसके नाम का अंकन साबिक ,जमाबन्दी सम्वत 2011 , 2015, 2028 मे अंकित है खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2023 मे भी विक्रेता छुटटली के पिता पल्टुखां के नाम का अंकन निरन्तर काश्त अंकित है

किन्तु वक्त सैटिलमेन्ट हाल नम्बर 963 कायत करते वक्त साबिक खसरा नम्बर 944 को शामिल करते हुए खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकार्ड के बजंड कदीम सिवायचक बंजड किस्म अंकित करते हुए हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे0 कायम कर दिया गया। चूकी

छुटटली व पिता पल्दुखां अनपढ वो जमीदार पेशा अज्ञान व्यक्ति था जिसकी अज्ञानतावश ऐसा हुआ है नकल जमाबन्दीयात सम्वत 2011, 2015, 2018 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 लगायत 2023 सालग्न वाद पत्र है।

विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से रकबा 0–13 बिस्वा रकबा पर पल्दु पुत्र आमीन मेव निवासी बोलनी काबिज होकर काश्त करता थाजिसके मरने के बाद विकेता छुटटली बतौर वारिस काबिज काश्त हुआ । जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने कब्जे काश्त की आराजी रकबा 0–13 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन था बेचान का सौदा मिन वादी से तय करते समय अपनी पारिवारिक जरूरतो हेतु मुबलिग 124,000 रू. मे वादी को बेचान कर विधिवत इकरारनामा बैय दिनांक 27.08.97 को स्टाम्प खरीद कर उसे विधिवत तहरीर कराते हुए सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर कब्जा आराजी पर वादी को सौप दिया था बैरोज खरीद से वादी ही सालिम 0–13 बिस्वा पर काबिज है मौके पर आज भी वादी ही काबिज काश्त है फसल बोता वो दरो करता आ रहा है। वास्ते मुलाहिजा प्रमाणित प्रति इकरारकनामा दिनांक 27.08.97 सलग्न वाद पत्र किया जा रहा है।

विकेता छुटटल्ली जाति मेव सा.बोलनी व उसका पिता पल्दुखां , मुतनाजा आराजी पर गत 60–65 वर्षो अर्थात सम्वत 2011 से निरन्तर काश्त करता रहा , जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने हकूक आराजी का बेचान दिनांक 27.08.97 को वादी को करते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा सोप दिया, उसके बाद वादी आराजी पर निरन्तर बैतोर खरीददार काबिज काश्त चला आ रहा है बाद बेचान अलौटी का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध वो सरोकार अथवा कब्जा काश्त नही रहा है बल्की वादी मौके पर काबिज है और वादी को विकेता छुटटली मेव की भांती आराजी पर कानूनी हक हकूक प्राप्त हो चुके है ऐसी सूरत मे वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कौप कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है।

अतःप्रार्थना है कि वाद तहकीकात वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

1. यह है कि डिक्री इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की ,जाकर करार दिया जावे कि वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से 0–13 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0–13 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का जरिये इकरारनामा बैय दिनांक 27.08.97 के काबिज काश्तकार खरीददार मौका पर काबिज वो दखिल है जो काबिज काश्त रकबा है ऐसी सूरत मे वादी आरांजी मुतनाजा पर ,अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा करा कर सनद खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस प्रकार की घोषणा वादी कराने के अधिकारी है।
2. यह है कि मौजूदा जमाबन्दीयात मे जो मुतनाजा पर बंजड सिवायचक का अंकन दर्ज रिकार्ड हो रहा है जो खिलाफ कानून, खिलाफ मौका वो रिकार्ड एवं हकूक वादी के विरूद्व नल एण्ड वाईड है काबिल दुरूस्ती है जिसे रकबा 0–13 बिस्वा की जद तक हजफ कराया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
3. खर्चा मुकदमा का वादी को दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे, अता फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0–13 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी है साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2011 मे खसरा नम्बर 944 सहित किता 4 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा के एक चौथाई भाग पर पल्टुखांमकबजे मालकान दर्ज है इसी कदर साबिक जमाबन्दी सम्वत 2015 के खाता सख्या 507 पर कुशाला वैगरा के साथ पल्टुखां एक चौथाई दर्ज हो रहा है वादी ने पल्टु के वारिस छुटटली पुत्र पल्टुखां मेव निवासी बोलनी तहसील किशनगढबास से उपरोक्त आराजी जिसका हाल 963 मिन जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 रकबा 0–13 बिस्वा को बाकब्जा दिनांक 27.08.97 को खरीद करना बताया है जबकी हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. सिवायचक दर्ज खाता सख्या 1 सरकार है जिसकी किस्म बजड दर्ज है जिसे पूर्व काबिज काश्तकार ने अपने कब्जे काश्त के आधार पर खसरा नम्बर 963 मे से 0–13 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशगनढवास वादी को बाकब्जा बेचान कर कब्जा दिया जाना अंकित किया है तथा वादी ने रकबा 0–13 बिस्वा पर अवैध हस्तानान्तरण कब्जा मानते हुए वाद दायर किया है जिससे राज्य सरकार के हित प्रभावित होते है ।

जवाब प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) पेश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0–13 बिस्वा का विकेता छुटटली पुत्र पल्टु मेव कब्जेकाश्त की आराजी है ।

जिम्मे वादी

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0–13 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी है।

जिम्मे वादी

3. आया भू. प्रबन्ध विभाग द्वारागलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 944 मी. रकबा 0–13बिस्वा को हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

5. आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बध सरोकार नही है दावा वादी काबिले खारिज है।

जिम्मे प्रतिवादी

6. अनुतोष

बाद कायमी तनकीयात वकील वादी द्वारा साक्ष्य मे शपथ पत्र राजपाल पी.डब्ल्यू 1 , पवन कुमार पी.डब्ल्यू 2, पेश किये। पी.डब्ल्यू 1 प्रदर्श कलमवद्व कराये गये। नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श 2 ,नकल खसरा गिरदावरी सम्वत

2016–19 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श 3, इकरारनामा दिनांक 27.08.97 प्रदर्श 4, विधिक नोटिस प्रदर्श 5, पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये।

दफील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की। तनकीवार विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0–13 बिस्वा का विक्रेता छुटटली पुत्र पल्टु मेव कब्जेकाश्त की आराजी है । इस तनकी का भार वादी पर है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का साबिक खसरा नम्बर 933मी रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा , 934 मी. रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा , 939/1 रकबा 0–09 बिस्वा, 939/2 रकबा 0–11 बिस्वा, 940 मी. 1–03 बिस्वा, 941मी. रकबा 1–08 बिस्वा, 942मी. रकबा 0–15 बिस्वा, 943 मी. रकबा 0–17 बिस्वा, 944 रकबा 0–13 बिस्वा, 950मी. रकबा 2–06 बिस्वा, 953मी. रकबा 2–00 , 954मी. रकबा 2–11 बिस्वा, 957 रकबा 1–16 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी पैमूद हुए है। तथा सेग्रीकेशन विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास कायम हुआ। प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 के साबिक खसरा नम्बर 944 रकबा 0–13 बिस्वा व अन्य दिगर साबिक नम्बरान किता 6 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा मे पल्टु एक चोथाई किस्म बजड कदीम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–19 मे पल्टु वैगरा द्वारा ही खरीफ , रवी की फसल का अंकन है। जिससे यह बाखुबी साबित होता है कि आराजी विवादित छुटना वैगरा की समभाग की कब्जे काश्त की आराजी थी। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 944 मिन रकबा 0–13 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी है। इस तनकी का भार वाद पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 मे वर्णित किया गया है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 944 मिन व अन्य दीगर साबिक साबिक खसरा नम्बरान मे पल्टु मेव की कब्जे काश्त की आराजी थी। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी उक्त को सिवायचक दर्ज कर दिया है चूकी आराजी विवादित हाल 963 रकबा 2.34 हे. के साबिक खसरा नम्बर 944 मिन मे से 0–13 बिस्वा वादी द्वारा ज़र्ये इंकरारनामा दिनांक 27.08.97 जो प्रदर्श 4 है के द्वारा खरीद की गई। तथा बाद सेग्रीकेशन विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 कायम हुए। वक्त खरीद से ही वादी का कब्जा है तथा वर्तमान मे भी वादी का ही कब्जा काश्त है जो तहसीलदार किशनगढबास द्वारा अपने पत्र कमाक/राजस्व/20/241 दिनांक 08.10.2020 के साथ सलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का 29.09.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. वाके ग्राम बोलनी जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता सख्या 1 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 किस्म बजड (सिवायचक) मे से 0–13 बिस्वा यानी 0.16 हे. रकबे पर राजपालसिह पुत्र हरिपाल जाति जाट निवासी बासडा रोड किशनगढबास का कब्जा है जिसमे वर्तमान मे

जोत लगाई हुई है जिसकी रिपोर्ट धारा 91 के तहत कर दी गई है। तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2015 साबिक खसरा नम्बर 944 रकबा 0–13 बीघा किस्म बंजड कदीम साफेदा, छुटटन हिस्सा 1/8 पल्दु हि. 1/4 दर्ज रिकार्ड है। दर्ज रिकार्ड है।जिससे यह बाखूबी साबित होता है विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की आराजी है आज भी वादी का ही कब्जा है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया भू. प्रबन्ध विभाग द्वारागलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 944 मी. रकबा 0–13बिस्वा को हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्व करने के लिए वादी ने छाया प्रति मिलान क्षेत्रफल सलग्न वाद किया हुआ है जिससे साबित है कि साबिक खसरा नम्बर 944 मी रकबा 0–13 बिस्वा को खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 मे शामिल किया गया है तथा बाद सेग्रीकेशन 963 का विवादित खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. बना है तथा नकल जमाबन्दी भू. प्रबन्ध सम्वत 2029 के अवलोकन से साबित है कि अलौटशुद्वा भूमि को भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. तथा बाद सेग्रीकेशन खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. दर्ज करते हुए सिवायचक बजंड कदीम दर्ज किया है जबकी भू. प्रबन्ध को पूर्व रिकार्ड अनुसार ही इन्द्राज दोहराया जाना चाहिये था। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 से यह बाखुबी साबित हो चुका है आराजी विवादित पल्दु मेव की कब्जे काश्त की आराजी है जो साबिक रिकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 3 से बाखूबी सिद्व होता है तथा प्रदर्श 3 गिरदावरी से भी विकेता द्वारा फसल काश्त किया जाना सिद्व होता है पल्दु के वारिस छुटली पुत्र पल्दु मेव निवासी बोलनी द्वारा आराजी विवादित मे से 0–13 बिस्वा जर्ये इकरारनामा दिनांक 27.08.97 के द्वारा कय किया गया है जो प्रदर्श 4 से बाखूबी सिद्व होता है तथा वर्तमान मे तहसीलदार एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इसलिए वादी का विवादित आराजी पर कब्जा बाखूबी सिद्व होता है राज. सरकार के परिपत्र क. प. 1 (15)राज–पुनर्वास/2009 दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 5 मे उल्लेख किया हुआ है कि " ऐसे व्यक्ति जिन्होने इस परिपत्र मे उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारो से बिना किसी विकय पत्र या इकरारनामा के भूमि कय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो , उन्हे सक्षम न्यायालय से स्वामित्व / कब्जे के बारे मे निर्ण करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात बिन्दु सख्या 3 के अुनसार नियममितिकरण शुल्क व शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेगे। " साबिक जमाबन्दीयात से साबित है कि यह निष्कान्त आवंटित शुद्वा भूमि थी जो सम्वत

2029 से पूर्व आवंटी के नाम दर्ज थी। मगर सम्वत 2029 मे भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा बिला आवंटन निरस्त के ही सिवायचक बजंड दर्ज कर दी गई जो विधिक भूल रही है चूकी दिनांक 27.08.97 से आज तक निरन्तर वादी के कब्जे काश्त की ताईद होती है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है वादी उक्त परिपत्र के अनुसार राशि जमा राज कोष जमा कराया जाकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बध सरोकार नही है दावा वादी काबिले खारिज है।इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है तनकी की समर्थन मे प्रतिवादी द्वारा विरूद्व वादी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है साबिक राजस्व रिकार्ड मे विकेता एवं मौके पर कब्जा बाबत रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा है जिससे यह नजरअन्दाज नही किया जा सकता कि विवादित आराजी पर वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही हो। तथा प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया है जिससे साबित हो सके की कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया हो . जब आवंटन ही निरस्त नही किया गया तो आवंटी के हकूक कानून द्वारा रक्षित है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि छुटना को बेचान का कोई अधिकार नही हो तथा विकेता का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही हो। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबे को गलत रूप से सिवायचक दर्ज किया गया है जो काबिले दुरूस्ती है तथा यह तथ्य प्रतिवादी द्वारा, अपने जबाब मे स्वीकार किया है कि प्ररकण राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकार मे है। इसलिए तय तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

6. अनुतोष :– विवादित आराजी निष्कान्त कृषि भूमि है जो साबिक रिकार्ड मे पल्दु वैगरा के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि को अवैध हस्तानान्तरण वादी के पक्ष मे होना साबित होता है। मोके पर वाद के कब्जे काश्त की ताईद होती है। वर्तमान मे वादी काबिज है। तथा राज्य सरकार के परिपत्र के दिनांक 30.3.2012 के अनुसार वादी से भूमि की कीमत कर्जा मय ब्याज, नियमितिकरण शुल्क व शास्ती परिपत्र के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार जमाकोष कराया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उक्त तनकीयात बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जा चुकी है तथा विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 944 मी विकेता छुटली के पिता पल्दु वैगरा द्वारा 0–13 बिस्वा वादी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 27.08.97 द्वारा खरीद किया तथा रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास एवं पटवारी हल्का के अनुसार मौके पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से 0–13 बिस्वा पर वादी का कब्जा है तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी तथ्यो एवं आदेश तथा खिलाफ मौका सिवायचक दर्ज किया है जो खिलाफ वादी

के हकूको के दर्ज किया है चूकी विवादित आराजी पर वादी का वर्तमान मे कब्जा काश्त है वादी का कब्जा बाखूबी सिद्व होता है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क , शास्ती जमा कराने पर खातेदार अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है अतः वाद वादी काबिल डिकी करार पाता है ।

अतः आदेश है:—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी साबिक खसरा नम्बर 944 मी रकबा 0—13 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 हे. मे से 0—13 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशगनढबास को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी द्वारा 1250 रू. प्रति बीघा कीमत भूमि मय ब्याज व नियमितिकरण शुल्क 4000 रू. प्रतिबीघा तथा 2000रू. प्रति बीघा की दर से शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिकी जारी हो। ' खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

मुकुट सिह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)